तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/5145/2004/बाड़मेर** **हरखा बनाम गोमाराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ
श्री गौरव बजाड़, सदस्य

उपस्थितः–

(1) श्री अजयपाल डिढारिया, अभिभाषक प्रार्थीगण।
(2) श्री हगामी लाल चौधरी, अभिभाषक अप्रार्थीगण।

निर्णय

दिनांकः 26.05.2025

यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय विद्वान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर–जैसलमेर की अपील संख्या 05/2004 में पारित निर्णय दिनांक 20–10–2004 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। जिसमें अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश से अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश को यथावत् रखा गया है।

2– विद्वान अधिवक्तागण की निगरानी पर बहस सुनी गयी।

3– विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिये हैं कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं रिकॉर्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 270 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। राजस्व रिकॉर्ड व दस्तावेजात में उक्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। विचारण न्यायालय द्वारा एकपक्षीय रिसीवर नियुक्त करने का अविधिक आदेश पारित किया है। वादग्रस्त आराजी प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। जिस पर किसी प्रकार की शान्ति भंग होने की आशंका नहीं है फिर भी विचारण न्यायालय द्वारा उक्त भूमि पर कयास के आधार पर शान्ति भंग व विवाद होना मानते हुए रिसीवर नियुक्त करने के अनुचित आदेश पारित किये गये हैं। जिसकी अपील अपीलीय न्यायालय में होने पर उनके द्वारा भी आदेश दिनांक 20–10–2004 से अपील अपीलांट गलत तौर पर स्वीकार की है।

प्रार्थी की निगरानी इसलिये स्वीकार की जावे कि एक बार दोनों पक्षों को सुनकर आदेश किये जाने चाहिये थे अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों को निरस्त किया जावे।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/5145/2004/बाड़मेर** **हरखा बनाम गोमाराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

उन्होंने अपने कथन के समर्थन में 2017 आर0आर0टी0 पेज 717, 2016 आर0आर0टी0 पेज 1307 के न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये।

4– प्रत्युत्तर में विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थी के तथ्यों का विरोध करते हुए कथन किया है कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत् रिसीवर नियुक्त किये जाने, विधिसम्मत् पाया गया है। जिसकी अपील अपीलीय न्यायालय में होने पर उन्होंने भी अपने आक्षेपित आदेश से अपीलांट की खारिज करते हुए अपीलाधीन आदेश यथावत् रखा है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णय व समवर्ती निष्कर्ष होने से प्रार्थी की निगरानी खारिज किये जाने योग्य है।

उन्होंने अपने कथन की ताईद में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 पेज सं0 646 की प्रति पेश की गई।

5– हमने विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अध्ययन व परिशीलन किया गया।

6– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, गुढामालानी के समक्ष प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 वास्ते रिसीवरी कायमी किये जाने बाबत् प्रस्तुत किया गया। जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा एकपक्षीय बहस सुनकर अपने आदेश दिनांक 02–06–2004 से विवादित भूमि पर रिसीवर नियुक्त किये जाने के आदेश पारित कर दिये। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा अपीलीय न्यायालय के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की गई। जिसे अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 20–10–2004 से अपील को खारिज करते हुए रिसीवरी के आदेश को यथावत् रखा है।

7– विवादित आराजी पर विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थी को सुने बिना ही रिसीवर नियुक्त किये जाने के आदेश पारित किये है जबकि विचारण न्यायालय से यह अपेक्षित था कि वह अप्रार्थी के रिसीवर नियुक्त प्रार्थना पत्र को निस्तारित करते समय प्रार्थी को विधिवत् साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त ही रिसीवरी नियुक्ति प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना चाहिए था। विचारण न्यायालय द्वारा अप्रार्थी के रिसीवरी प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने में विधिक व कानूनी प्रक्रिया की पूर्ण पालना नहीं की गई है। जिससे उनके रिसीवरी नियुक्ति आदेश को न्यायसंगत नहीं माना जा सकता है। विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा भी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/5145/2004/बाड़मेर** **हरखा बनाम गोमाराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश को यथावत् रखने में विधिक त्रुटि कारित की है। ऐसी स्थिति में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों का समर्थन नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्रार्थी की निगरानी न्यायहित में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में उभयपक्ष को सुनकर निर्णय किये जाने हेतु स्वीकार किये जाने योग्य है।

8– विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण के तथ्यों पर चस्पा होते है।

9– अतः उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी की निगरानी **स्वीकार** कर विद्वान रजस्व अपील प्राधिकारी, (बाड़मेर–जैसलमेर) मु0 जोधपुर का निर्णय दिनांक 20–10–2004 एवं सहायक कलक्टर, गुढ़ामालानी द्वारा पारित आदेश दिनांक 02–06–2004 निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण सहायक कलक्टर, गुढ़ामालानी को इस निर्देश के साथ **प्रतिप्रेषित** किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधिसम्मत् निर्णय एक माह में पारित करें।

10– उभयपक्ष विद्वान न्यायालय सहायक कलक्टर, गुढ़ामालानी के समक्ष दिनांक 26–06–2025 को उपस्थित हो।

11– पत्रावली फैसल शुमार हो, निर्णय की सूचना कम्प्यूटर के माध्यम से प्रदान की जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गौरव बजाड़)
सदस्य